(क) क्या मंत्रालय ने हाल में बांग्लादेश सरकार से यह कहा है कि वह भारत के सुधार गृहों में रखे गए बांग्लादेशी राष्ट्रिकों की पहचान करने के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करे;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में बांग्लादेश-सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या भारत के कारागारों/सुधार गृहों में रखे गए बांग्लादेशी राष्ट्रिकों को समयबद्ध तरीके से उनके देश वापस भेज दिया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन)

**(क) से (घ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।**

**दिनांक 25.04.2012 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 289 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

**(क) से (घ) : भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार के बीच जनवरी, 2011 में उन सजाप्राप्त व्यक्तियों के अंतरण के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किए गए थे जो दोनों देशों की जेलों में बंद हैं और सजा की बाकी अवधि अपने देश में पूरा करना चाहते हैं । उक्त करार को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के उद्देश्य से, भारत और बांग्लादेश के बीच हुई गृह सचिव स्तरीय वार्ताओं में सजा प्राप्त ऐसे व्यक्तियों के प्रत्यर्पण के लिए नोडल केन्द्रों की स्थापना करने पर सहमति व्यक्त की गई थी । भारतीय पक्ष ने बांग्लादेश पक्ष द्वारा नामित नोडल केन्द्र के साथ बातचीत करने के लिए गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव (पूर्वोत्तर) को नोडल केन्द्र के रुप में नामित किया है । दोनों देशों के बीच नोडल केन्द्रों ने जनवरी, 2012 से कार्य करना शुरु कर दिया है । सजा प्राप्त व्यक्तियों के प्रत्यर्पण के अतिरिक्त, नोडल केन्द्र उन बांग्लादेशी नागरिकों के प्रत्यर्पण में भी सुविधा प्रदान कर रहा है जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है और भारत में जेलों/सुधार गृहों में बंद है । सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों से ऐसे बांग्लादेशी नागरिकों के ब्यौरे भेजने का अनुरोध किया गया है । ऐसे व्यक्तियों के प्रत्यर्पण/अन्तरण के कार्य में तेजी लाने के उद्देश्य से, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से गृह मंत्रालय में स्थापित नोडल केन्द्र के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए राज्य स्तर पर एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति का भी अनुरोध किया गया है । जम्मू एवं कश्मीर, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली की सरकारों और अंडमान एवं निकोबार प्रशासन से सूचना प्राप्त हो गई है । ऐसे बांग्लादेशी नागरिकों को अपने अधिकार में लेने के लिए इस मामले को बांग्लादेश सरकार के साथ उठाया गया है । चालू वर्ष में, नोडल केन्द्र के माध्यम से 42 बांग्लादेशी नागरिकों को बांग्लादेश वापस भेजा गया है ।**